<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्<u>ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 177 / 11</u> <u>संस्थापन दिनांक:-27 / 06 / 11</u> <u>फाईलिंग नं. 233504000322011</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्व

- 1. देवीराम उर्फ देवेंद्र पिता अमन पंडोले, उम्र 19 वर्ष
- 2. बंटी उर्फ विनोद पिता राजू नागले, उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी ग्राम हथनोरा,, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 24.08.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324/34(दो काउंट में), 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.06.2011 को रात 10 बजे ग्राम खारी फरियादी के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी रामिकशोर को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामिकशोर की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामिकशोर एवं पात्राबाई को लोहे की धारदार छुरी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी रामिकशोर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी रामिकशोर ने दिनांक 09.06.2011 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि रात करीब 10 बजे वह और उसकी मां पात्राबाई गाल बैल के कोठे के पास बाहर सो रहे थे। तभी अभियुक्तगण एकदम से आये और उसे मादरचोद बहनचोद की गालियां दिये और कहा कि बहुत केस चला रहा है। फरियादी रामिकशोर ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उसे तेरी मां की चूत कहकर छुरी से मारा तो उसने छुरी पकड़ ली जिससे उसके हाथ की अंगुली में चोट आयी। जब उसकी मां पात्राबाई बीच बचाव करने आयी तो उसे भी अभियुक्तगण ने छुरी से मारा जिससे उसकी मां को गाल एवं गले में चोट आयी। अभियुक्तगण ने उन्हें

रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 170/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण से एक—एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी रामकिशोर एवं आहत पात्राबाई को लोहे की धारदार छुरी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

रामकिशोर (अ.सा.–1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया

है कि घटना के समय अभियुक्तगण उन्हें गंदी—गंदी गालियां दे रहे थे। साक्षी रेबू (अ.सा.—2) ने भी न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि अभियुक्तगण घटना के समय गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इसके अतिरिक्त घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में अन्य साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।

- 6 साक्षी रामिकशोर (अ.सा.—1) एवं रेबू (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी—गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
- 7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी रामिकशोर (अ. सा.—1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे जाते जाते मारने की धमकी दी थी। रेबू (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटनाक समय अभियुक्तगण ने उन्हें मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी रामिकशोर (अ.सा.—1) एवं रेबू (अ.सा.—2) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को कियान्वित करने का आशय रहा हो।
- 8 जान से मारने की धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी के मन में यह भय पैदा हो जाये कि ऐसी धमकी का कियान्वयन भी किया जा सकता है। आपराधिक अभित्रास गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसी धमकी देने का आशय उसे कार्यरूप में परिणित करने का न हो और फरियादी भयभीत न हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत लक्ष्मण विरुद्ध म.प्र. राज्य 1989 जे.एल.जे. 653 अवलोकनीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा—506 भाग—2 भा0दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

- 9 रामिकशोर (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी। उसने बचाव किया तो अभियुक्तगण के हाथ में रखी हुई छुरी उसकी हथेली में गढ़ गयी थी और उसकी मां पात्राबाई को गर्दन में चोट आयी थी। पात्राबाई (अ.सा.—3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त देवीराम और बंटी ने गाल के दोनों ओर चाकू से मारा था और गर्दन में भी मारा था। रेबू (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उनके साथ मारपीट की थी। उसकी पत्नी पात्रा को गर्दन में चाकू लग गया था और चेहरे में भी चोट आयी थी। उसके बेटे रामिकशोर की हथेली में चाकू से चोट आयी थी। उसे कंघे पर चोट आयी थी। रामा (अ.सा.—4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण की उसने पात्राबाई के गले में चोट देखी थी और रामिकशोर के हाथ में कट लगा हुआ देखा था।
- 10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—5) ने दिनांक 09.06.2011 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत रामिकशोर का परीक्षण किये जाने पर उसके दांहिने हाथ की मध्य एवं पहली अंगुली में 1 गुणा 1 गुणा 0.5 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव तथा आहत पात्रा बाई का परीक्षण करने पर आहत की गर्दन के बांये तरफ 4 गुणा 2 गुणा 3 सेमी आकार का एवं दांहिने गाल पर 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने उक्त दोनों ही आहतगण को आयी चोटें कड़े एवं धारदार हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श प्री—3 एवं प्रदर्श पी—4 को प्रमाणित किया है।
- के.एस. ठाकुर (अ.सा.—6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 09.06.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 170/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को ही घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—2) एवं दिनांक 20.06.2011 को अभियुक्तगण देवीराम एवं बंटी उर्फ विनोद से एक—एक लोहे की छुरी जप्त कर प्रदर्श पी—5 एवं प्रदर्श पी—6 के जप्ती पत्रक तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—7 एवं प्रदर्श पी—8 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में समस्त अभियोजन साक्षी एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साक्षी रेबू एवं स्वयं आहत रामकिशोर ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में रेबू (अ.सा.–2) ने मुख्य 13 परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि ग्राम खारी में उसके घर के 11 बजे की है। घटना के समय घर पर वह सो रहा था तभी अभियुक्त देवीराम और बंटी आये। गर्मी के दिन होने के कारण घर का दरवाजा खुला हुआ था जिससे अभियुक्तगण सीधे घर के अंदर आ गये। साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्तगण धड़ाधड़ डंडे से मारने लगे। उनके हाथ में चाकू था। उसकी पत्नी की गर्दन में चाकू लगने से चोट आयी थी तथा अभियुक्तगण के हाथ में सायकिल की चैन भी थी जो उसकी पत्नी के चेहरे पर लगी। उसके बेटे रामिकशोर की हथेली में चाकू से चोट आ गयी थी। रामा (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि घटना के समय वह घर से निकल रहा था तभी अभियुक्त देवी फरियादी रामकिशोर के ध ार से निकलकर भागा। उसे आवाज आयी तो वह दौडा और अभियुक्त देवी को भागते हुए देखा। उसके बाद उसकी भाभी पात्राबाई और रामकिशोर घर के बाहर निकल आये। पात्राबाई के गले में चोट थी और रामिकशोर के हाथ में चाकू से कट लग गया था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने अभियुक्त बंटी को मौके पर नहीं देखा था।

14 रेबू (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्तगण की आवाज उसने सुनी नहीं थी। घटना के समय वह ट्यूबवेल पर सो रहा था। जब वह मौके पर पहुंचा तब अभियुक्तगण मौके से भाग गये थे। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय ट्यूबवेल पर सोने के कारण वह नहीं बता सकता कि घटना कैसे हुई। रामा (अ.सा.—4) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि उसने अभियुक्तगण को भागते हुए नहीं देखा था और न ही उन्हें पहचाना था। बचाव अधिवक्ता के द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि रेबू के घर की तरफ से आवाज आ रही थी, जब वह उसके घर तरफ पहुंचा तो उसके भाई के लड़के रामिकशोर को दो लोग मारपीट कर रहे थे और उसे देखकर भागने लग गये जो कि अभियुक्त बंटी एवं देवीराम थे। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण अपने मुख्य परीक्षण के कथनों पर स्थिर नहीं है तथा अभियोजन के अनुरूप भी साक्षीगण ने कथन नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षी रेबू एवं रामा के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है और उनके कथनों पर विश्वास किया जाना सुरिक्षित प्रतीत नहीं होता है।

15 अभिलेख पर रामिकशोर एवं आहत पात्राबाई की साक्ष्य उपलब्ध है। फिरियादी रामिकशोर एवं आहत पात्राबाई दोनों ही आहत साक्षी हैं। घटना के संबंध में आहत सर्वोत्त साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत भजनिसंह उर्फ हरभजनिसंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या

कमी के रूप में हो सकते हैं।

16 रामिकशोर (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि ग्राम खारी में उसके घर के 11 बजे की है। घटना के समय घर पर वह सो रहा था तभी अभियुक्त देवीराम और बंटी आये। गर्मी के दिन होने के कारण घर का दरवाजा खुला हुआ था जिससे अभियुक्तगण सीधे घर के अंदर आ गये और उसकी मां को मारा, जब उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण के हाथ में रखी छुरी सीधे हाथ की हथेली में गढ़ गयी। उसकी मां पात्राबाई को गर्दन में चोट आयी थी। पात्राबाई (अ.सा.—3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह सो रही थी तभी अभियुक्त देवीराम और बंटी आये और उसे गाल के दोनों ओर चाकू से मारा और गर्दन में भी चाकू मारा था। उसकी गर्दन से खून निकलने लगा। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे मार डाला मार डाला। साक्षी ने आगे यह बताया है कि घटना की रिपोर्ट उसके पित और बेटे ने की थी।

रामिकशोर (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त 17 बंटी उसकी पत्नी एवं बच्चों के साथ मण्डीदीप में रहने के लिए चला गया है। इस सुझाव को सही बताया है कि यदि अभियुक्त उसकी पत्नी और बच्चों को भगाकर मण्डीदीप में नहीं ले जाता तो वह रिपोर्ट नहीं करता। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में साक्षी ने यह बताया है कि अंधेरा होने के कारण उसके हाथ में चोट कैसे आयी वह देख नहीं पाया था, बाद में देखा तो खून निकल रहा था। वह नहीं देख पाया कि अभियुक्तगण के हाथ में क्या था, नीचे गिर गया तो उसके हाथ एवं कंधे पर चोट आयो थी। पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि घना अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखायी नहीं दे रहा था। हल्ला होने पर गांव के लोग आ गये। दिया जलाकर देखा तो चोट पहुंचाने वाले भाग चुके थे। पात्राबाई (अ.सा. -3) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह सो रही थी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि घटना के समय अंधेरा था। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि घर का लाईट था। साक्षी से बचाव अधिवक्ता द्वारा यह पूछे जाने पर कि उसे चोटें टकराने से तो नहीं आयी थी तब साक्षी ने उत्तर दिया कि मुंशी ने देखा था खून निकल रहा था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह बतायां है कि अभियुक्त बंटी और देवी ने झूमा झटकी कर हाथ, लात से मारपीट किया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 02 में हीं साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि यदि अभियुक्त बंटी उसकी बहु सावली को लेकर उसके माता पिता के घर नहीं जाता तो वह रिपोर्ट नहीं करते। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि मारपीट की थी तो रिपोर्ट की है।

18 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उभयपक्ष के मध्य रंजिश स्थापित है जिससे अभियोजन में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तत्व है जो घटना का कारक भी हो सकता है और झूठा फंसाये जाने का आधार भी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commussion of offences as also for false implication" अर्थात रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है। अभियोजन साक्षी रामिकशोर (अ.सा.—1), रेबू (अ.सा.—2), पात्राबाई (अ.सा.—3), रामा (अ.सा.—4) ने यह बताया है कि अभियुक्त बंटी ने फरियादी रामिकशोर की पत्नी को भगाकर ले गया इसी बात की उभयपक्ष के मध्य रंजिश चली आ रही है। अतः उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य स्थापित है परंतु आहत पात्राबाई (अ. सा.—3) अभियुक्तगण के द्वारा उसे चाकू से मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित रही है। अतः ऐसी स्थिति में जब अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो तब ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष को रंजिश से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

19 रामिकशोर (अ.सा.—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अंधेरा होने के कारण वह देख नहीं पाया था कि किसने चोट पहुंचाई थी परंतु साक्षी रामिकशोर के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक को उसके एवं उसकी मां के साथ मारपीट हुई थी। उसे तथा उसकी मां को चोटें आयी थी। आहत पात्राबाई (अ.सा.—3) अभियुक्त देवीराम और बंटी के द्वारा उसे चाकू से मारे जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित रही है और साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना के समय घर के लाईट की रोशनी थी।

अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 08.06.2011 की रात्रि 10 बजे की है तथा फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2011 को सुबह 09:30 बजे लेख करा दी गयी है। फरियादी के द्वारा बिना विलंब रिपोर्ट लेख करायी गयी है जिससे फरियादी के द्वारा मिथ्या कहानी गढ़ना एवं अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है। यद्यपि आहत पात्राबाई (अ.सा.—3) ने बढ़ाचढ़ाकर न्यायालय में कथन किये हैं। फरियादी रामकिशोर (अ. सा.-1) एवं आहत पात्राबाई (अ.सा.-3) के कथनों में परस्पर विरोधाभास भी है परंत् उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों में आया विरोधाभास तात्विक न होकर अत्यन्त साधारण है क्योंकि घटना दिनांक 08.06.2011 की है तथा साक्षी रामकिशोर एवं पात्राबाई के न्यायालय में दिनांक 03.10.2016 को कथन हुए हैं। स्पष्टतः घटना के पांच वर्ष उपरांत साक्षीगण के कथन न्यायालय में हुए हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक पुरानी घटना के सचित्र वर्णन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती एवं सामान्य मानवीय स्वभाव के अनुरूप साक्षी ध ाटना को बढ़ाचढ़ाकर ही बताता है। उपर्युक्त परिस्थिति में साक्षियों के कथन अविश्वसनीय नहीं हो जाते हैं। आहत पात्राबाई एवं रामकिशोर की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा बताये गये

स्थान पर चोट पायी गयी है। आहत पात्राबाई को गर्दन में 4 गुणा 2 गुणा 3 सेमी. का कटा घाव पाया गया है। ऐसे स्थान पर आहत के द्वारा चोट स्वकारित किया जाना अत्यन्त अस्वाभाविक है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त देवीराम एवं बंटी ने फरियादी रामिकशोर एवं पात्राबाई को धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहित कारित की।

21 अभियुक्तगण का एक साथ फरियादी के घर में घुसकर उनके उपर धारदार हथियार से मारपीट किया जाना उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। अतः अभियुक्तगण का कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में कारित किया जाना प्रकट होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में फरियादी रामिकशोर एवं आहत पात्राबाई को चाकू से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की गयी थी।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

22 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी रामिकशोर को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामिकशोर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रामिकशोर की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी रामिकशोर एवं पात्राबाई को लोहे की धारदार छुरी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः अभियुक्तगण देवीराम उर्फ देवेंद्र एवं बंटी उर्फ विनोद को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 324/34(दो काउंट में), भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

23 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगत किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

24 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही गांव के निवासी हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। साथ ही यह निवेदन किया कि अभियुक्तगण मजदूर पेशा व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। जबिक विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में धारदार हथियार से मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

25 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी एवं आहत की धारदार हथियार से मारपीट कर उन्हें उपहित कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली—भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय—संगत नहीं है।

26 अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं अभियुक्तगण की आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुए विचारोपरांत अभियुक्तगण देवीराम उर्फ देवेंद्र एवं बंटी उर्फ विनोद को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है:—

धारा	सश्रम कारावास	अर्थदंड	जुर्माना अदा करने की दशा में सश्रम कारावास
324 / 34 (दो	6 माह	200 / —	15 दिवस
काउंट में),	(प्रत्येक शीर्ष हेतु)	(प्रत्येक शीर्ष हेतु)	

27 मूल कारावास के समस्त दंड साथ—साथ भुगताये जाये।

28 अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उनका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्तगण को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे। 29 प्रकरण में जप्त दो लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

30 चूंकि प्रकरण में फरियादी एवं आहत आपस में मां बेटे हैं। अतः धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500 / — रूपये फरियादी रामिकशोर पिता रेबू निवासी खारीगयावानी थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

31 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)